

आपूर्ति-श्रृंखला आचार संबंधी संहिता (SUPPLY CHAIN ETHICAL CODE)

पृष्ठभूमि

हर मौके पर, Refinitiv उन भिन्न कानूनों, नियमों तथा आचरण मानकों का अनुपालन करते हुए सही काम करने, अपने व्यवसाय को ईमानदारी से और अच्छे निर्णय के साथ संचालित करने का प्रयास करती है जो उन देशों में हम पर लागू होते हैं जिनमें हम व्यवसाय करते हैं। हम उन उच्च गुणवत्ता वाले आपूर्तिकर्ताओं के साथ मजबूत व्यावसायिक रिश्ते बनाने के लिए भी वचनबद्ध हैं जिन्होंने हमारे अपने नैतिक मानदंडों के समान मानदंडों के तहत ही प्रचालन करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

Refinitiv के नैतिक मूल्य और जिस प्रकार से हम व्यवसाय करते हैं, उसका परिणामी दृष्टिकोण Refinitiv की व्यावसायिक आचार और नीतिशास्त्र संहिता (Code of Business Conduct and Ethics) में व्यक्त किया गया है, जो Refinitiv के सारे अधिकारियों, निदेशकों और कर्मचारियों पर लागू होती है। वर्तमान व्यावसायिक आचार और नीतिशास्त्र संहिता अनेक भाषाओं में यहाँ ऑनलाइन उपलब्ध है: <http://www.refinitiv.com/en/policies/code-business-conduct-ethics>.

Refinitiv की आपूर्ति-श्रृंखला आचार संबंधी संहिता विशेष रूप से दुनिया भर में हमारे आपूर्तिकर्ताओं (या “व्यावसायिक भागीदारों” (“Business Partners”)) पर लागू होती है और यह व्यवहार के तुलनात्मक मानकों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करती है, जिनके द्वारा हमारी आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से नैतिक सुधारों के प्रति वचनबद्धता को प्रेरित किया जा सके। वर्तमान आपूर्ति-श्रृंखला आचार संबंधी संहिता अनेक भाषाओं में यहाँ ऑनलाइन उपलब्ध है: <http://www.refinitiv.com/en/supplier-portal/supply-chain-ethical-code.html>.

आपूर्तिकर्ता की अपेक्षाएं

Refinitiv के आपूर्तिकर्ता के रूप में, आपसे इस संहिता के प्रावधानों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

परिभाषाएं

इन संहिता में:

- “आपूर्तिकर्ता” (“Supplier”) और “व्यावसायिक भागीदार” (“Business Partner”) का अर्थ ऐसी कंपनी, भागीदारी या व्यक्ति है जो Refinitiv समूह की एक या ज्यादा सदस्य कंपनियों को वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति कर रहा है।
- “कामगार” (“Worker”) का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसे आपूर्तिकर्ता अपना व्यवसाय संचालित करने के लिए नियुक्त करता है, भाड़े पर लेता है, संलग्न करता है या अन्यथा इस्तेमाल करता है।

दायरा

इस संहिता की शर्तें समान रूप से (i) आपूर्तिकर्ता की किसी भी संबद्ध कंपनी और (ii) आपूर्तिकर्ता के किसी एजेंट या उप-ठेकेदार पर उस हद तक लागू होती हैं जिस हद तक ऐसा एजेंट या उप-ठेकेदार आपूर्तिकर्ता या इसकी संबद्ध कंपनी के लिए सेवाएं देता है। इसके अनुसार, “कामगार” (“Worker”) शब्द में आपूर्तिकर्ता से संबद्ध कंपनियों या आपूर्तिकर्ता द्वारा या इसकी संबद्ध कंपनियों के उप-ठेकेदारों या एजेंटों द्वारा नियोजित किया गया, भाड़े पर लिया गया या अन्यथा काम पर लगाया गया कोई भी व्यक्ति शामिल हो सकता है।

बाध्यताएं

1. रोजगार स्वतंत्रता से चुना जाता है

- कामगार अपनी मर्जी से काम करते हैं और उन्हें काम करने के लिए न तो बाध्य किया जाता है, न ही बंधक बनाया जाता है, न ही वे किसी कैदी श्रमिक की हैसियत से बिना मर्जी के काम करते हैं। आपूर्तिकर्ता मानव तस्करी के किसी भी रूप का इस्तेमाल नहीं करेगा, उसमें हिस्सा नहीं लेगा या उससे लाभ नहीं उठाएगा।
- कामगारों से आपूर्तिकर्ता या इसके एजेंट को भर्ती शुल्क या अन्य शुल्क अदा करने की अपेक्षा नहीं की जाती। कामगारों से आपूर्तिकर्ता के पास “धनराशि जमा कराने” (“deposits”) या अपने पहचान पत्र (जैसे कि पासपोर्ट या ड्राइवर का लाइसेंस) जमा कराने की अपेक्षा नहीं की जाती और आपूर्तिकर्ता ऐसे पहचान संबंधी कागजात तक उनकी पहुँच को रोक नहीं सकता। कामगार बिना बदले की कार्रवाई के बिना तर्कसंगत नोटिस देने के बाद किसी भी समय आपूर्तिकर्ता के साथ अपने रोजगार या अन्य कार्य संबंध समाप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं।
- हर संभव सीमा तक, किया गया कार्य स्थानीय कानून और रीति के अनुसार स्थापित किसी मान्यताप्राप्त रोजगार या स्वतंत्र ठेकेदार संबंध के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

2. संघ बनाने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार की स्वतंत्रता का सम्मान किया जाता है

- कामगारों को अपनी पसंद की ट्रेड यूनियनों या कार्य परिषदों से स्वच्छंद रूप से जुड़ने, शामिल होने या इन्हें बनाने का और स्थानीय कानून के अनुसार सामूहिक सौदेबाजी करने का अधिकार है। कामगारों को किसी ऐसी गतिविधि से दूर रहने का भी अधिकार होगा।

- आपूर्तिकर्ता ट्रेड यूनियनों और कार्य परिषदों की गतिविधियों और उनकी संगठनात्मक गतिविधियों के बारे में सारे लागू कानूनों का पालन करेगा।
- कामगारों के प्रतिनिधि किसी भेदभाव, बदले, धमकी या उत्पीड़न के डर के बिना, कार्य स्थितियों और प्रबंधन रीतियों के बारे में प्रबंधन के समक्ष खुले रूप से अपनी बात संप्रेषित कर सकेंगे तथा विचार और चिंताओं को साझा कर पाएंगे।
- जहाँ संघ और सामूहिक सौदेबाजी की स्वतंत्रता के अधिकारों को लागू कानून के तहत प्रतिबंधित किया जाता है, वहाँ आपूर्तिकर्ता अन्य स्वतंत्र और मुक्त संघ और सौदेबाजी के लिए अन्य कानूनी साधनों के विकास को प्रतिबंधित नहीं करेगा।

3. कार्य स्थितियाँ सुरक्षित, स्वास्थ्यकर और आरोग्यप्रद हों

- कामगारों को उद्योग की मौजूदा जानकारी और किसी विशेष खतरे को ध्यान में रखते हुए, सुरक्षित, स्वास्थ्यकर और आरोग्यप्रद कार्य वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। कार्य के वातावरण में मौजूद जोखिमों के कारणों को, जहाँ तक व्यावहारिक रूप से संभव हो सके, न्यूनतम करते हुए, कामगारों द्वारा किए जाने वाले कार्य के दौरान उत्पन्न होने वाली, उनसे संबद्ध या होने वाली दुर्घटनाओं और चोटों को रोकने के लिए समुचित कदम उठाए जाएंगे। जहाँ जोखिमों को समुचित रूप से नियंत्रित नहीं किया जा सकता, वहाँ कामगारों को उचित, अच्छी प्रकार से रखरखाव किए गए, निजी सुरक्षात्मक उपकरण प्रदान किए जाने हैं। कामगारों को सुरक्षा संबंधी चिंताएं व्यक्त करने के लिए दंडित नहीं किया जाएगा। आपूर्तिकर्ता संभावित आपातकालीन स्थितियों और घटनाओं की पहचान करेगा और उनका निवारण करेगा तथा आपातकालीन योजनाएं एवं प्रतिक्रिया प्रक्रियाएं लागू करेगा (जिसमें आग का पता लगाने और उसका शमन करने वाले उचित प्रकार के उपकरण और बाहर निकलने की समुचित सुविधाएं, असीमित रूप से, शामिल हैं)।
- कामगार उचित स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जानकारी को उपयुक्त भाषाओं में आपूर्तिकर्ता के सुविधा केंद्रों में साफ तौर पर दर्शाया जाएगा।
- कामगारों को साफ शौचालय सुविधाएं और पीने का पानी उपलब्ध कराया जाएगा और यदि उचित हो, तो भोजन के भंडारण के लिए स्वास्थ्यप्रद सुविधाएं प्रदान की जाएंगी।
- जहाँ प्रदान किया जाए, वहाँ रहने का आवास साफ, सुरक्षित होगा और कामगारों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करेगा।
- आपूर्तिकर्ता स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारी प्रबंधन के किसी वरिष्ठ प्रतिनिधि को सौंपेगा।
- आपूर्तिकर्ता से इस प्रकार से प्रचालन करने की उम्मीद की जाती है जिससे स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी लागू कानूनों और विनियमों का पालन होता हो।

4. बाल श्रम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा

- आपूर्तिकर्ता बाल श्रम का इस्तेमाल नहीं करेगा। "बच्चा" ("child") शब्द का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है जो (क) 15 वर्ष से कम आयु का हो या (ख) देश में रोजगार के लिए न्यूनतम आयु से कम आयु का हो, जो भी ज्यादा हो।
- 18 वर्ष की आयु से नीचे के कामगार ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे उनके स्वास्थ्य या सुरक्षा को खतरा होने की संभावना हो, इसमें रात की पाली में या खतरनाक स्थितियों में काम करना शामिल है।

5. मजदूरी और लाभ

- कामगारों को दी जाने वाली मजदूरी और लाभ के संबंध में लागू मजदूरी कानूनों का पालन किया जाएगा जिनमें न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम के घंटों और कानूनी रूप से आदेश दिए गए लाभों से संबंधित कानून भी शामिल हैं।
- सारे कामगारों को उनके रोजगार में प्रवेश से पहले उनकी मजदूरी और लाभों के बारे में और उनको वेतन पर्ची (pay stub) या अन्य प्रलेखन के माध्यम से हर बार किए जाने वाले भुगतान से संबंधित वेतन अवधि के लिए उनकी मजदूरी के ब्यौरों के बारे में लिखित और समझने लायक जानकारी दी जाएगी।
- अनुशासनिक उपाय के रूप में उनकी मजदूरी से कटौती की अनुमति नहीं दी जाएगी, और संबंधित कामगार की स्पष्ट अनुमति के बिना, उसकी मजदूरी से ऐसी कोई कटौती करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जिसकी व्यवस्था लागू कानून द्वारा न की गई हो।

6. कार्य के घंटे अधिक न हों

- कार्य के घंटे स्थानीय कानून द्वारा निर्धारित अधिकतम घंटों से ज्यादा नहीं होंगे। कार्य सप्ताह प्रति सप्ताह में ओवरटाइम सहित 60 घंटे से ज्यादा का नहीं होना चाहिए जिसमें आपातकालीन या असामान्य स्थितियों या जहाँ कामगार अपनी मर्जी से ज्यादा घंटे काम करना चुनता है, को छोड़कर, ऐसा करने के लिए दबाव नहीं डाला जाएगा और आपूर्तिकर्ता अधिकतम घंटों से संबंधित लागू कानून का पालन करेगा। कामगार को सात दिन के सप्ताह में कम-से-कम एक दिन की छुट्टी की अनुमति होगी।

7. कोई भेदभाव नहीं किया जाता है

- आपूर्तिकर्ता कार्यबल को उत्पीड़न और गैरकानूनी भेदभाव से मुक्त रखने के लिए वचनबद्ध होगा। आपूर्तिकर्ता भाड़े और रोजगार पर लेने की रीतियों में भेदभाव नहीं करेगा जैसे कि प्रजाति, रंग, धर्म, आयु, सेक्स, लिंग, गर्भावस्था, वैवाहिक स्थिति, यौन रुचि, लिंग पहचान और अभिव्यक्ति, राष्ट्रीय मूल, नागरिकता स्थिति, विकलांगता, पूर्व सैनिक स्थिति या लागू कानून या विनियमन द्वारा संरक्षित किसी अन्य वर्गीकरण के आधार पर क्षतिपूर्ति, प्रशिक्षण के लिए पहुँच, पदोन्नति, बर्खास्तगी या सेवानिवृत्ति।

8. किसी कड़े या अमानवीय व्यवहार की अनुमति नहीं है

- शारीरिक दुर्व्यवहार या दंड, शारीरिक दुर्व्यवहार की धमकी, यौन या अन्य उत्पीड़न और शाब्दिक गाली-गलौज या अन्य प्रकार की धमकी की कड़ी मनाही होगी।

9. रिश्वत-रोधी और भ्रष्टाचार-रोधी

- आपूर्तिकर्ता हर समय सारे लागू रिश्वत-रोधी और भ्रष्टाचार-रोधी कानूनों का पालन करेगा जिसमें अमेरिकी विदेशी भ्रष्ट पद्धतियाँ अधिनियम (U.S. Foreign Corrupt Practices Act) और U.K. रिश्वतखोरी अधिनियम (U.K. Bribery Act) शामिल हैं लेकिन इन तक ही सीमित नहीं हैं।
- आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित को स्वीकार, पेश नहीं करेगा, वायदा, भुगतान नहीं करेगा, अनुमति नहीं देगा या अधिकृत नहीं करेगा:
 - रिश्वत, सुविधा प्रदान करने वाले भुगतान, किकबैक या गैरकानूनी राजनीतिक अंशदान;
 - धन, वस्तुएं, सेवाएं, आवभगत, रोजगार, अनुबंध या मूल्यवान कोई अन्य चीज़ ताकि अनुचित लाभ हासिल किया जाए या बनाए रखा जाए; या
 - कोई अन्य गैर-कानूनी या अनुचित भुगतान या लाभ।
- आपूर्तिकर्ता सुनिश्चित करेगा कि इसके व्यवसाय संबंधी रिकॉर्डों और भुगतान संबंधी सारे अनुरोधों में सौदे, खर्च और/या प्रदान की गई सेवाओं को पूरी तरह से और सटीक रूप से दर्शाया जाए। सारे भुगतान या प्रतिपूर्ति के अनुरोध अधिकृत लिखित रसीदों, बीजकों या अन्य उपयुक्त प्रलेखन से प्रमाणित किए जाएंगे जिनमें आपूर्तिकर्ता या Refinitiv की ओर से किए गए खर्चों या लागतों का और/या किए गए कार्य का पूरा ब्यौरा हो।
- आपूर्तिकर्ता Refinitiv की ओर से किए गए या Refinitiv की ओर से प्रदान की गई निधियों से किए गए सारे भुगतानों का लिखित लेखांकन रखेगा (किसी उपहार, भोजन, आवभगत या मूल्यवान किसी वस्तु सहित)। आपूर्तिकर्ता अनुरोध किए जाने पर इस लेखांकन की एक प्रति तुरंत Refinitiv को प्रदान करने के लिए सहमत है।
- आपूर्तिकर्ता प्रतिष्ठित कामगारों को काम पर लगाएगा और सुनिश्चित करेगा कि वे इन अपेक्षाओं को समझें और इनका पालन करें।

10. आपूर्तिकर्ता विविधता

- आपूर्तिकर्ता अनुरोध करने पर Refinitiv को इस बात का सबूत प्रदान करेगा कि इसने आपूर्तिकर्ता विविधता कार्यक्रम और/या आपूर्तिकर्ता विविधता नीति को लागू किया है या इसे लागू करने के लिए काम कर रहा है। ऐसे सबूत के अभाव में, आपूर्तिकर्ता एक विवरण प्रदान करेगा जिसमें विविधता के बारे में इसकी मौजूदा स्थिति का उल्लेख होगा।

11. पर्यावरण

- आपूर्तिकर्ता अनुरोध किए जाने पर Refinitiv को इस बात का सबूत प्रदान करेगा कि इसने पर्यावरण संबंधी कार्यक्रम और/या पर्यावरण संबंधी नीति को लागू किया है या इसे लागू करने के लिए काम कर रहा है। ऐसे सबूत के अभाव में, आपूर्तिकर्ता एक विवरण प्रदान करेगा जिसमें पर्यावरण के बारे में इसकी मौजूदा स्थिति का उल्लेख होगा।
- आपूर्तिकर्ता से इस प्रकार से प्रचालन करने की उम्मीद की जाती है जिससे कि पर्यावरण संबंधी सारे लागू कानूनों और विनियमों का पालन होता हो। अनुपालन में हवा, पानी, ठोस कचरा, जोखिम वाला कचरा, इलेक्ट्रॉनिक कचरा और ऊर्जा कार्यक्षमता/कार्बन फुटप्रिंट शामिल होंगे लेकिन यह इन तक ही सीमित नहीं है।

12. अनुपालन, प्रश्न और रिपोर्टिंग संबंधी चिंताएं सुनिश्चित करना

- अनुरोध किए जाने पर, आपूर्तिकर्ता Refinitiv को इस संहिता का अनुपालन करने के समर्थन में संगत सूचना और डेटा भेजेगा।
- ऐसी रिपोर्टिंग पर लागू स्थानीय कानूनों और किन्हीं कानूनी प्रतिबंधों के अधीन, आपूर्तिकर्ता से उम्मीद की जाती है कि वह Refinitiv को इस संहिता के ऐसे उल्लंघन के बारे में तुरंत बताएगा जिसकी उसे जानकारी मिलती है। आपूर्तिकर्ता या इसका कोई कामगार उल्लंघनों की रिपोर्ट कर सकता है या Refinitiv की व्यावसायिक आचार और नीतिशास्त्र हॉटलाइन के माध्यम से निम्नलिखित नंबर पर कॉल करते हुए इस संहिता के बारे में प्रश्न पूछ सकता है: +(1) 855-581-5184 (अमेरिका और कनाडा से बाहर, "1" जो कि अमेरिका और कनाडा को डायल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोड है, से पहले अपने देश का ऐक्सेस नंबर डायल करें) या इस पते पर ऑनलाइन पूछें: www.refinitiv.ethicspoint.com. समुचित समीक्षा करने की जरूरतों के अनुरूप, पूरी संभव सीमा तक गोपनीयता को बनाए रखा जाएगा। आपूर्तिकर्ता अपने किसी भी कामगार के प्रति बदले की कोई कार्रवाई न करने पर सहमत होता है, जो सद्दिश्वास में कार्य करते हुए ऐसी सूचना देते हैं जिसे वे तर्कसंगत रूप से इस संहिता का उल्लंघन मानते हैं।